भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 68

बुधवार,7 दिसम्बर, 2022 (16 अग्रहायण, 1944 (शक)) को उत्तर के लिए

साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं

68# श्री सतीश चंद्र दूबेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं की रोक थाम के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में देश में हुई साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) अब तक इस तरह की घटनाओं मे कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं राज्य वार संख्या क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ग):भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। विधि प्रवर्तन एजेंसियां, साइबर धोखाधड़ी में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही करती हैं। केंद्र सरकार, एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी क्षमता संवर्धन के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने साइबर धोखाधड़ी सहित साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, चेतावनी/ एडवाइजरी जारी करना, विधि प्रवर्तन कार्मिकों/ अभियोजकों/ न्यायिक अधिकारियों का क्षमता निर्माण/ प्रशिक्षण और साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं को बेहतर बनाना आदि शामिल हैं। सरकार ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक फ्रेमवर्क और ईको-

सिस्टम उपलब्ध कराने हेतु 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) का गठन किया है, ताकि साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटा जा सके।

सरकार ने महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, लोगों को सभी प्रकार के साइबर अपराधों को दर्ज करने में समर्थ बनाने के लिए 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (www.cybercrime.gov.in) को शुरू किया है। इस पोर्टल पर दर्ज की गई साइबर अपराध की घटनाओं की सूचना, कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे कार्यवाही करने के लिए स्वतः ही संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को पहुँच जाती है। वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' भी शुरू की गई है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2021 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2021 के दौरान, साइबर अपराध (माध्यम/लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के अंतर्गत धोखाधड़ी (आईपीसी की धारा 465, 468-471 के साथ पठित धारा 420) के तहत दर्ज मामलों का राज्य /संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

राज्य सभा अता. प्र. सं. 68 दिनांक 07.12.2022

वर्ष 2019 से 2021 के दौरान साइबर अपराधों के अंतर्गत धोखाधड़ी के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीसीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन),गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति(पीसीवी)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019						2020						2021					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	703	36	0	68	54	0	764	57	2	76	85	2	952	82	3	64	100	3
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0
3	असम	83	32	0	58	58	0	58	17	0	18	17	0	82	18	0	194	44	0
4	बिहार	1008	276	4	993	503	17	1294	569	0	634	638	0	1373	402	2	944	484	2
5	छत्तीसगढ़	35	14	0	25	25	0	71	15	0	35	31	0	67	17	0	32	32	0
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7	गुजरात	107	53	0	242	242	0	205	25	0	57	57	0	208	68	0	194	196	0
8	हरियाणा	107	6	0	8	8	0	36	7	0	18	18	0	52	26	0	102	102	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	6	1	0	4	2	0
10	झारखंड	18	2	2	2	2	2	83	1	1	2	1	1	79	4	0	6	6	0
11	कर्नाटक	7	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	3	3	0
12	केरल	14	7	0	12	12	0	6	1	0	5	1	0	16	5	0	7	5	0
13	मध्य प्रदेश	25	6	1	14	18	1	69	16	0	47	47	0	89	40	0	103	106	0
14	महाराष्ट्र	1681	144	0	289	315	0	2032	102	0	326	177	0	1678	214	9	453	327	45
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	956	58	0	70	82	0	1079	60	0	74	78	0	1205	74	0	64	93	0
20	पंजाब	35	4	0	29	5	0	16	1	0	14	1	0	29	5	0	15	11	0
21	राजस्थान	324	14	1	17	17	1	332	21	0	29	25	0	371	55	0	108	94	0
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	11	0	0	19	0	0	5	0	0	2	0	0	107	0	0	35	0	0
24	तेलंगाना	282	91	2	172	132	3	3316	469	202	582	572	202	7003	579	3	743	994	5
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	813	367	8	503	491	16	837	304	16	375	375	41	614	216	13	322	285	18
27	उत्तराखण्ड	3	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	145	19	0	8	136	0	40	2	0	3	2	0
	कुल राज्य	**6212**	**1111**	**18**	**2523**	**1965**	**40**	**10364**	**1686**	**221**	**2311**	**2263**	**246**	**13980**	**1811**	**30**	**3396**	**2886**	**73**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	11	7	0	16	14	0	31	2	0	21	5	0	19	4	0	106	102	0
33	जम्मू और कश्मीर*	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	0	0
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**17**	**8**	**0**	**16**	**15**	**0**	**31**	**2**	**0**	**21**	**5**	**0**	**27**	**4**	**0**	**107**	**102**	**0**
	कुल (अखिल भारत)	**6229**	**1119**	**18**	**2539**	**1980**	**40**	**10395**	**1688**	**221**	**2332**	**2268**	**246**	**14007**	**1815**	**30**	**3503**	**2988**	**73**

स्रोत:भारत में अपराध. नोट: '+' 2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े, *' 2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े.